

कार्यकारी सारांश



उत्तराखण्ड वन विकास निगम (UKFDC)

अरण्य विकास भवन 73, नेहरू रोड, देहरादून

ईमेल: uafdcmd@yahoo.com

टेलीफोन: 0135-2657610

पर्यावरण सलाहकार



मंटेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(QCI/NABET मान्यता प्राप्त)

वेबसाइट: www.manteccconsultants.com

डी-36, सेक्टर 6, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

फोन नं : 0120-4215000, ई-मेल: envmantec@yahoo.co.in

कार्यकारिणी सारांश
कोटमोट बालू, बजरी, बोल्डर खान,
60 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र गांव— रूद्रपुर,
तहसील— विकास नगर
जिला— देहरादून, उत्तराखण्ड

सारांश पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन

1.1 परिचय

उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा गांव रूद्रपुर, तहसील विकास नगर और जिला देहरादून में 60 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र में बालू, बजरी, बोल्डर के खनन की योजना को प्रस्तावित किया गया है। दिनांक 14.09.2006 पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना के अनुसार इस परियोजना को श्रेणी 'ए' (क) में रखा गया है। चूंकि खनन पट्टा क्षेत्र 50 हेक्टेयर से अधिक है, अतः इस परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता है।

खनन पट्टा उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में पत्र संख्या 584 / बीएचयू / कनी / ई / 2012-13 दिनांकित 23.1.2013 को प्रस्तावित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बालू, बजरी, बोल्डर की 3.60 लाख टीपीए उत्पादन क्षमता का प्रस्ताव रखा है।

1.2 परियोजना विवरण

परियोजना क्षेत्र: समस्त 60 हेक्टेयर क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आता है। खनन खुली खदान विधि द्वारा बालू, बजरी, बोल्डर का प्रतिवर्ष 3.6 लाख टन के लक्षित उत्पादन के लिए किया जाएगा।

क्रमांक	विवरण	स्पष्टीकरण
A.	प्रकृति और परियोजना	बालू, बजरी, बोल्टर (60 हैक्टेयर) के 3.6 लाख टन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता के लिए उपलब्ध है।
B.	स्थान	
	जिला	देहरादून
	तहसील	विकास नगर
	राज्य	उत्तराखण्ड
	अक्षांश	30°26'34.69"N से 30°25'40.72"N
	देशांतर	77°52'47.00"E से 77°49'39.22"E
C. खनन क्षेत्र के विवरण		
	क्षेत्रफल	60 हेक्टेयर
	भूमि के प्रकार	वन भूमि
	स्थलाकृति	समतल
	परियोजना स्थल की ऊँचाई	529 मी से 595 मी समुद्री तल से ऊपर
D. पर्यावरण की स्थापना का विवरण		
	पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में से खदान की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर (राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व/ वन आदि संरक्षित)	पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में से खदान की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर (राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व/ वन आदि संरक्षित) कोई जगह नहीं आती है।
	पुरातत्व महत्वपूर्ण जगह	परियोजना के 10 किलोमीटर की परिधि

	के भीतर पुरातत्व महत्वपूर्ण की कोई जगह नहीं आती है।
निकटतम हवाई अड्डा	41.19 किमी की दूरी पर जोली ग्रांट हवाई अड्डा दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है।
निकटतम प्रमुख शहर	23.44 किमी की दूरी पर निकटतम प्रमुख शहर देहरादून दक्षिण दिशा में स्थित है।
नजदीक रेलवे स्टेशन	23.44 किमी की दूरी पर निकटतम प्रमुख देहरादून रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है।
नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग-72 4 किमी की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
भूकंपीय जोन	जेन चतुर्थ आईएस 1893:2002 के अनुसार

1.3 रिजर्व (खनन भंडार) का आकलन

बालू, बजरी, बोल्टर को लोहदंड और कुदाल की मदद से नदी के तट से हटाया जायेगा। बैंच की ऊँचाई को 1.5 मी0 तक ऊँचा रखा जायेगा। कुल 3,60,000 टन का उत्पादन किया जायेगा। प्रस्तावित मात्रा एवं उत्पादन का विवरण नीचे सारणी में दिया जायेगा।


वर्ष	बैंच स्तर (मी०)	खनिज की मात्रा (टन)	उत्पादन	संतुलन (टन)
प्रथम वर्ष	529—593.5	365400.83	3,60,000	5400.83
द्वितीय वर्ष	529—593.5	365400.83	3,60,000	5400.83
तृतीय वर्ष	529—593.5	365400.83	3,60,000	5400.83
चतुर्थ वर्ष	529—593.5	365400.83	3,60,000	5400.83
पंचम वर्ष	529—593.5	365400.83	3,60,000	5400.83

1.4 खनन विधि

खनन ड्रिलिंग एवं विस्फोट द्वारा नहीं किया जायेगा। खनिज बालू, बजरी, बोल्टर के लिए प्रस्तावित खनन की योजना वर्तमान मांग को ध्यान में रखते हुये भूवैज्ञानिक एवं सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है। खनन का कार्य वर्ष में 270 दिन किया जायेगा।

खनन में बालू, बजरी, बोल्टर के उत्खनन के लिए खुरपा, कपाल, चालनी आदि का उपयोग किया जाएगा। खनन खुली खदान विधि द्वारा पूर्णतः मनुष्यों द्वारा किया जायेगा।

ड्रिलिंग और कोई विस्फोट की कोई आवश्यकता नहीं है।



1.5 परियोजना की आवश्यकताएं

1.5.1 भूमि

खनन के लिए कुल 60 हेक्टेयर की वन भूमि आवंटित की गयी है।

1.5.2 पानी की आवश्यकता

खनन परियोजना के लिए कुल पानी की आवश्यकता 30 किलो लीटर दिन प्रतिदिन है। जल का उपयोग घरेलू उद्देश्य, धूल दमन और ग्रीन बेल्ट के विकास के लिए किया जायेगा।

1.5.3 विद्युत की आवश्यकता

खनन मुख्य रूप से दिन के दौरान किया जाएगा, इसलिए खनन कार्य के लिए विद्युत की आवश्यकता नहीं है।

1.5.4 मुख्य शक्ति की आवश्यकता

खनन खुली खदान विधि से पूर्णतः मनुष्यों द्वारा किया जायेगा। MMR-1961 नियम के अनुसार, खान में उच्च अधिकारियों एवं अन्य सक्षम व्यक्ति खान को प्रभावी पर्ववेक्षण के लिए तैनात किया जायेगा। कुल 600 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

क्र० सं०	मनुष्य शक्ति का प्रकार	संख्या
1	प्रबन्धक	11
2	तकनीकी दक्ष कार्यकर्ता	59
3	अतकनीकी दक्ष कार्यकर्ता	530
	कुल	600

1.6 पर्यावरण का विवरण

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों के अनुसार अध्ययन के क्षेत्र (10 किमी रेडियल दूरी) के भीतर पर्यावरण मानकों का पूर्व मानसून मौसम वर्ष (मार्च-मई) 2015 के दौरान क्षेत्र अध्ययन किया गया।

1.6.1 भूमि उपयोग स्वरूप

10 किलोमीटर के दायरे में अध्ययन क्षेत्र की भूमि का उपयोग, उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों जैसे टोपोशीट, क्षेत्र भ्रमण आदि द्वारा विश्लेषण करके अध्ययन किया गया है।

क्रमांक	विशेषताएं	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	क्षेत्रफल : में
1	कृषि	390.87	63.29
2	जल निकायों	27.95	4.53
3	आबादी	21.79	3.53
4	बंजर भूमि	1.51	0.25
5	वनस्पतियां	175.45	28.41
	कुल क्षेत्रफल	617.58 वर्ग किमी	100.00

1.6.2 मृदा की गुणवत्ता

तथ्यों से पता चलता है कि मिट्टी की बनावट रेतीली है। मिट्टी के नमूने में रेत की मात्रा 76 प्रतिशत से 80 प्रतिशत है। स्लिट की मात्रा 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक पायी गयी। जबकि क्ले की मात्रा 10 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक पायी गयी। 7.45 से 7.65 पीएच यह दर्शाती है कि मिट्टी के नमूने हल्के क्षारीये है। कुशालपुर की चालकता 512 माइक्रो माहोस/सेमी जबकि रामपुर की चालकता 381 मिली माइक्रो होस्/सेमी पायी गयी।

1.6.3 जल पर्यावरण

जल की गुणवत्ता निगरानी के 4 स्थानों का चयन किया गया। पानी के नमूने की गुणवत्ता विश्लेषण के लिए सतह जल के 2 स्थानों से नमूना डिब्बे में एकत्र किए गए थे। तथा भू-जल के 2 नमूने एकत्र किये गये। अध्ययन अवधि के दौरान पानी की गुणवत्ता का सारांश नीचे दिया गया है।

भूमिगत जल का विश्लेषण परिणाम:

पीएच 7.42 से 7.56

कुल कठोरता 3.58 से 3.6 मिलीग्राम/लीटर

कुल घुलित क्लॉराइड 14 मिलीग्राम/लीटर से 15 मिलीग्राम/लीटर

सतह जल का विश्लेषण परिणाम:

पीएच 7.47 से 7.65

कुल कठोरता 3.2 से 3.14 मिलीग्राम/लीटर

चालकता 400 से 405 मिली माइक्रो होस्/सेमी तक

1.6.4 वायु पर्यावरण

पीएम 10: 24 घंटे के लिए औद्योगिक और मिश्रित उपयोग क्षेत्रों के लिए पीएम 10 की सीमा $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ है, जबकि खनन क्षेत्र में अधिकतम मात्रा $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ और न्यूनतम मात्रा $57 \mu\text{g}/\text{m}^3$ पायी गयी। औसत वैल्यू 67.44 से $71.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ तक पायी गयी।

SO₂: 24 घंटे के लिए औद्योगिक और मिश्रित उपयोग क्षेत्रों के लिए SO₂ की सीमा $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ है, जबकि SO₂ की अधिकतम मात्रा $10.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ और औसत वैल्यू ज्ञात सीमा से कम $<4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ पायी गयी। औसत वैल्यू 6.0 से $6.92 \mu\text{g}/\text{m}^3$ के बीच पायी गयी।

NO₂: 24 घंटे के लिए औद्योगिक और मिश्रित उपयोग क्षेत्रों के लिए NO₂ की सीमा $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ है, जबकि खनन क्षेत्र में NO₂ के लिए

अधिकतम मात्रा 28.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ और और न्यूनतम मात्रा 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ पायी गयी। औसत मात्रा 18.25 से 20.83 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ के बीच पायी गयी।

1.6.5 शोर पर्यावरण

परिवेश शोर का स्तर दिन के समय 49.7 डेसिबल से 52.5 डेसिबल पाया गया तथा रात के समय शोर का स्तर 40.6 डेसिबल से 52.5 डेसिबल पाया गया।

1.6.6 जीव पर्यावरण

पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन मौजूदा वनस्पतियों और अध्ययन के क्षेत्र के जीव-जंतुओं पर किसी भी परियोजना के प्रभाव को समझने के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया जाये, तो यह परियोजना के प्रभाव को कम करने के लिए उचित कार्यवाई करने, संवेदनशील मुद्दों की पहचान करने में सहायत प्रदान करता है। 10 किलो मीटर के अंतर्गत पाये जाने वाले किसी भी जंतु को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (2001 में संशोधित) की अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

1.6.7 सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण

सामाजिक आर्थिक अध्ययन से क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक दशा, इसकी जनसंख्या का स्पष्ट चित्र परिवार का औसत आकार, साक्षरता दर, और लिंग अनुपात आदि का पता लगता है। जिला देहरादून में 80 गांवों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया। कुल जनसंख्या 502658 पायी गई जिसमें 52.38 प्रतिशत पुरुष एवं 47.61 प्रतिशत स्त्री है। कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या 336349 पायी गई जो कुल जनसंख्या का 66.91

प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता दर 56.80 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 43.14 प्रतिशत पायी गई।

यह खनन परियोजना जिले के लिए सिर्फ रोजगार के अवसर ही नहीं अपितु बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्र के समग्र विकास में भी सहायक सिद्ध होगी।

1.7 प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव और निराकरण

1.7.1 भूमि पर्यावरण

पूर्वानुमानित प्रभाव

खनन खुली खदान विधि पूर्णतः मनुष्यों द्वारा किया जायेगा। अनिवार्य रूप से भूमि पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। भूमि पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन, अध्ययन भूमि उपयोग पैटर्न/भूमि कवर, स्थलाकृति, जल निकासी पैटर्न पर अच्छी तरह से अध्ययन करके किया जा सकता है।

1. नयी खुदान द्वारा आसपास की स्थलाकृति के प्रभावित होने की संभावना होती है।
2. खनन से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट मानसून के मौसम में नदी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

शमन उपाय

- पर्याप्त वृक्षारोपण कार्यक्रम सार्वजनिक सड़क के साथ किया जायेगा। यह भूमि के कटाव को रोकने में सहायक सिद्ध होता है।
- खुदाई की भूमि को भर कर समतल किया जाएगा।
- ठोस अपशिष्ट को नदी के किनारे पर नहीं इकट्ठा किया जायेगा जिससे ये नदी के प्रवाह को बाधित न कर सके।

1.7.2 जल पर्यावरण

पूर्वानुमानित प्रभाव

- किसी भी प्रकार का दूषित जल परियोजना से निष्काषित नहीं होगा।
- खनन भूमिगत जल को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा।

शमन उपाय

- किसी भी प्रकार का दूषित जल परियोजना से निष्काषित नहीं होगा। खनन भूमिगत जल को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा।
- पानी की समय समय पर जाँच की जाएगी।

1.7.3 वायु पर्यावरण

पूर्वानुमानित प्रभाव

- खनन आपरेशन खुली खदान पूर्णतः मनुष्यों द्वारा किया जायेगा । बालू, बजरी, बोल्टर के लदान और परिवहन के दौरान धूल उत्पन्न होने की संभावना है ।
- गैसों सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के आक्साइड वाहनों के निकास से उत्पन्न होती है ।
- पर्याप्त मात्रा में अन्य संबंधित कार्यों में मुक्त धूल स्वस्थ के लिए हानिकारक है ।

शमन उपाय

- पानी का छिड़काव धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अपनाया जाएगा ।
- श्रमिकों को मुख आवरण प्रदान किया जाएगा ।
- उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए उपकरणों का नियमित रूप से रखरखाव किया जाएगा ।

1.7.4 मिट्टी पर्यावरण

पूर्वानुमानित प्रभाव

परियोजना से कोई अपशिष्ट जल और बिषैला उत्सर्जन निष्कासित नहीं होगा। अध्ययन क्षेत्र की धरती पर खनन गतिविधियों के कारण कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शमन उपाय

उत्सर्जन पानी के छिड़काव और वृक्षारोपण के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

1.7.5 शोर स्तर

पूर्वानुमानित प्रभाव

खनिज के परिवहन के लिए प्रयोग किये जाने वाले परिवहन वाहन स्थल पर ध्वनि प्रदूषण का स्रोत हैं। फावड़ा, चलनी के प्रयोग से खुदाई करने पर भी शोर उत्पन्न होता है।

शमन उपाय

- परिवहन वाहनों, लदान और खुदाई के अलावा किसी अन्य उपकरणों को खदान में अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सभी उपकरणों के समुचित रखरखाव से मशीनों के संचालन के दौरान शोर को कम करने में मदद मिलेगी। वृक्षारोपण सड़कों के साथ किया जाएगा। वृक्षारोपण शोर से प्रचार को कम करता है और यह भी धूल को फैलने से रोकता है।

1.7.6 जैविक वातावरण

पूर्वानुमानित प्रभाव

पशु शोर के प्रति संवेदनशील होते हैं। खनन की तिज्या में किसी भी प्रकार के पशु पानी की खोज में नहीं आते हैं। खनन के परिचालन चरण के दौरान किसी प्रकार के पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी।

शमन उपाय

- बगान सड़कों के साथ किया जाएगा। इन गतिविधियों से मिट्टी का कटाव को रोकने में मदद मिलेगी। जो क्षेत्र के पुष्प कवर के सुधार में भी सहायक है।
- सभी निवारक उपाय वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए किये जाएंगे। परियोजना किसी भी पेड़ काटने का नेतृत्व नहीं करती है। हालांकि यह वृक्षारोपण सेवाओं द्वारा इलाके की हरियाली में सुधार करने को प्रस्तावित करती है।
- कार्यकर्ताओं को ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने, या शिकार करने के लिए पट्टे क्षेत्र के बाहर उद्यम नहीं करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। उन्हें इसके लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा कि यह परियोजना स्थल के पास आने वाले किसी भी वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाये।
- कोई भी कार्य शाम 6 बजे के बाद नहीं किया जाएगा।

1.7.7 सामाजिक-आर्थिक वातावरण

पूर्वानुमानित प्रभाव

- धन की वृद्धि से सामाजिक बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रखरखाव में सहायता मिलेगी।
- बफर जोन में गांवों और उनके निवासियों को खनन कार्य की वजह से परेशान नहीं किया जाएगा।
- खनन कार्य के दौरान किसी भी गांव या निवासियों को स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।
- खनन गतिविधियों के माध्यम से, और रोजगार के अवसरों से स्थानीय लोगों का विकास होगा और महत्वपूर्ण योगदान से राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी।
- खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। रोजगार द्वारा प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए बढ़ावा मिलेगा जो बेहतर जीवन के मानक है।
- खनन को पूर्णतः सुरक्षित विधि द्वारा किया जायेगा जिससे सामाजिक परिवेश पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े।

1.7.8 ठोस अपशिष्ट

प्रत्याशित प्रभाव

- खनन से बहुत कम मात्रा में स्लिट, क्ले उत्पन्न होगी जिसका वनस्पति और वन्य जीवन के निवास स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- खनन में 600 कर्मियों द्वारा किया जायेगा। खनन क्षेत्र में भोजन बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। अन्यथा भोजन से खनन क्षेत्र में गंदगी फैलेगी।
- खनन से किसी प्रकार का अपशिष्ट, खतरनाक कचरे और तरल पदार्थ के कचरा उत्सर्जन नहीं होगा।

शमन उपाय

- घरेलू मल को मलप्रवाह पद्धति द्वारा निष्कासित किया जायेगा। व्यक्तियों की निजी आदतें जैसे बीड़ी पीना, कचड़ा आदि को फैलने से रोकने के लिये कूड़ेदान का उपयोग किया जायेगा।

1.7.9 यातायात घनत्व

पूर्वानुमानित प्रभाव

खनन में प्रयोग किये गये वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण और शोर प्रदूषण की संभावना होती है।

शमन उपाय

- सभी परिवहन वाहनों को एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- सभी वाहनों को गति सीमा का पालन करना होगा। दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहनों को बस्ती क्षेत्रों के पास गति कम करने के लिए निर्देशित किया जायेगा।
- अनावश्यक हॉर्न न देने के लिये निर्देशित किया जायेगा।

1.8 पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम

पर्यावरण निगरानी नियंत्रण के उपायों की क्षमता को मापने के लिए महत्वपूर्ण है। एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन समय की अवधि में किया जाता है। इससे प्राप्त साक्ष्यों द्वारा प्राकृतिक या मानव गतिविधियाँ से प्रेरित सभी कारकों को प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः पर्यावरण मानकों की नियमित निगरानी पर्यावरण की गुणवत्ता में होने वाले परिवर्तन के लिए आवश्यक है। निगरानी के उद्देश्य हैं:

- परियोजना के परिणाम को सत्यापित करने में
- संचालन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को मापने में
- वैधानिक और कंपनियों के अनुपालन की पुष्टि करने में और
- अप्रत्याशित परिवर्तन की पहचान करने में

1.9 पर्यावरण प्रबंधन योजना

पर्यावरण प्रबंधन योजना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित मानक सीमा का पालन करके परियोजना के लिए 3,60,000 लाख टन प्रति वर्ष के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता नियंत्रण के उपायों को विस्तृत रूप में प्रस्तावित करती है। पर्यावरण प्रबंधन योजना से खनन द्वारा पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सभी निवारकों को सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण प्रबंधन योजना निम्नलिखित में विस्तृत है।

- वायु पर्यावरण
- शोर पर्यावरण
- जल प्रबंधन
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- बागान विकास सहित जैविक पर्यावरण
- पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी कार्यक्रम का कार्यान्वयन

क्षेत्र में खनन विभिन्न पर्यावरणीय मानकों पर प्रभाव डालता है। समयबद्ध प्रबंधन योजना से खनन के हर स्तर पर होने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है।

1.10 निष्कर्ष

परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे जिससे स्थानीय लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हवा, पानी, मिट्टी और शोर से कोई महत्वपूर्ण प्रदूषण नहीं होगा। पर्यावरण के सभी

छव पदकमग मदजतपमे विनदकणघटकों की नियमित निगरानी की जाएगी। कंपनी द्वारा सामाजिक कल्याण के उपाय और सभी संभव पर्यावरण पहलुओं का पर्याप्त रूप से मूल्यांकन किया जायेगा और आवश्यक नियंत्रण के उपायों को वैधानिक रूप से पूरा किया जायेगा।